37–(08)–118–2013

पटना में दिनांक–16 अप्रील, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

निर्वाचन विभाग

1. बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग के उप निर्वाचन पदाधिकारी, पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०–3, ₹ 15,600–39,100/– ग्रेड पे ₹ 6600/–(अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 10000–325–15200 रू०) को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०–3, ₹ 15,600–39,100/– ग्रेड पे ₹ 7600/–(अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 12000–375–16500 रू०) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — **1. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. पटना जिला के अंचल–बिहटा, मौजा–पैनाल, थाना सं०–70, खाता सं०–1814, खेसरा सं०–5720, रकबा–0.26 (अंश) एकड़ बकाश्त ठीकेदार (सरकारी घोषित) भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — **2. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया अंचल के मौजा–भितहाँ, थाना नं०–135 खाता सं०–11, खेसरा सं०–260/1, रकबा–97 (सन्तानवे) डिसमिल गैरमजरूआ मालिक भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 15000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 14,55,000/–रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत लगान रू० 29,100/–का पचीस गुणा अर्थात 7,27,500/–रूपये पूंजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 21,82,500 (रूपये इक्कीस लाख बेरासी हजार पाँच सौ) मात्र के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — **3. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती अंचल के मौजा–खड़सरा, थाना नं०–51, खाता सं०–308, खेसरा सं०–1140, 1106, 1140 एवं 1108 रकवा क्रमशः 0.10½ एकड़, 0.03½ ए० 0.03 ए० एवं 0.03 एकड़ कुल 0.20 एकड़ (बीस डी०) अनाबाद सर्वसाधारण, बिहार सरकार की भूमि, भूमिहीन एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–I के अन्तर्गत आने वाले कुल 16 लाभार्थियों को 20/–रू० प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर बन्दोवस्त करने के संबंध में। — **4. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. पटना जिला के अंचल–नौबतपुर, मौजा–ममरेजपुर, थाना सं०–174, खाता सं०–9, खेसरा सं०–314, रकबा–0.09 एकड़ बकाश्त मालिक / धनहर (सरकारी घोषित) भूमि बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०–78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत अंचल के मौजा–बराह, थाना नं०–207, खाता सं०–658, खेसरा सं०–5843, रकबा–01 (एक डिसमिल) गैर मजरूआ आम किस्म बाँध भूमि, गृह स्थल योजनान्तर्गत आवासीय प्रयोजन हेतु सुयोग्य श्रेणी की भूमिहीन चमेली देवी पति स्व० चन्द्रिका मिस्त्री, टोला कल्याणविगहा को 20/–रूपया प्रति एकड़ वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर बन्दोवस्त करने के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. मुंगेर जिला में, जिला परिवहन सुविधा केन्द्र भवन के निर्माण हेतु अन्दर किला तौजी नं०–1333 खाता नं०–09 खेसरा नं०–42 रकबा–13.7 डिसमिल गैर मजरूआ कैशरे हिन्द भूमि परिवहन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल–मधुबनी मौजा–मधुबनी में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के पूरक डी०पी०आर० के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु थाना सं०–260 खाता सं०–03, खेसरा सं०–3046/2 रकबा–50 डिसमिल गैरमजरूआ मालिक परती भूमि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड में ग्राम अररिया के पास सुगरवे नदी पर वीयर डायवर्सन हेड–वर्क्स संरचना का निर्माण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 2767.00 लाख (सत्ताईस करोड़ सड़सठ लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

10. बिहार राज्य के लिए राजकीय पशु, पक्षी, वृक्ष तथा पुष्प की घोषणा। — 10. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर समाहर्त्ता कोटि पे–बैंड ₹ 15,600–39,100/–, ग्रेड पे ₹ 7,600/– से संयुक्त सचिव के पद, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,700/– में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।	11. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

13. बिहार पुलिस के सिपाही एवं अवर निरीक्षक संवर्ग की सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित करने के संबंध में।	13. स्वीकृत।